14.05.2022 परिवादी द्वारा कार्यपालन यंत्री श्री अनूप कुमार जोशी उपस्थित।

अभियुक्त उपस्थित।

इसी स्टेज पर परिवादी की ओर से कार्यपालन यंत्री के द्वारा प्रकट किया गया कि मामले में अभियुक्त के द्वारा समन राशि एवं विद्युत उर्जा चोरी राशि जमा की जा चुकी है। अतः राजीनामा आवेदन पेश किया।

अतएव एक आवेदन अंतर्गत धारा 152(2) विद्युत्त अधिनियम 2003 के अधीन प्रस्तुत कर प्रकट किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 135 विद्युत्त अधिनियम 2003 के अधीन परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के द्वारा विद्युत्त चोरी की राशि एवं अपराध शमन की राशि परिवादी कम्पनी कार्यालय में जमा करा दी गयी हैं। संपूर्ण राशि की अदायगी हो जाने से परिवादी अभियुक्त के विरुद्ध मामले में समन राशि जमा हो जाने से कार्यवाही समाप्त करना चाहता है। अतएव मामले में राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की याचना की है।

प्रकरण का परिशीलन किया गया अभियुक्त के विरुद्ध धारा 135 विद्युत्त अधिनियम को मामला है। धारा 152 विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अधिनियम की धारा 135 में आने वाले मामले शमनीय प्रकृति के है।

धारा 135 विद्युत अधिनियम के अधीन राजीनामा किसी विधिक प्रावधान को विफल करने वाला नहीं है। अभियुक्त को किसी अन्य मामले में पूर्व में दोषसिद्ध किये जाने या प्रशमन किये जाने का कोई रिकार्ड नहीं है। परिवादी राजीनामा करने में सक्षम हैं। अभियुक्त के द्वारा संपूर्ण चोरी की राशि अपराध शमन शुल्क की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अतएव न्यायहित में राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

राजीनामा के सापेक्ष अभियुक्त को धारा 135 विद्युत अधिनियम,2003 के आरोप से उक्त धारा 152 विद्युत अधिनियम के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

जप्त शुदा संपत्ति विद्युत्त विभाग को वापस की जावे/मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जाये।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज किया जाकर विधिवत अभिलेखागार जमा कराया जाये । **सही/–**

(एन.आर.परमार)
पीठासीन अधिकारी, नेशनल लोक अदालत एवं
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, भीकनगांव
विद्युत क्षैत्र, भीकनगांव, जिला खरगौन,मध्यप्रदेश

सदस्य
सही/–
श्री सलीम खान अधिवक्ता

सदस्य
सही/–
श्री शिवराम खरते पी.एल.व्ही.

NANDRAM PARMAR
Digitally signed by NANDRAM PARMAR